विद्युत लोकपाल

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-06/2024

मेसर्स कीर कंस्ट्रक्शन, – **आवेदक**

द्वारा – प्रो. रमनजीत सिंग/सतिंदर सिंग कीर

लालबाग रोड,

बुरहानपुर (म.प्र.) – 450331

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री(ग्रामीण), – **अनावेदक**

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,

बुरहानपुर (म0प्र0) – 450331

आदेश

(दिनांक 27.02.2024 को पारित)

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एच0 अंसारी उपस्थित हुए।

अनावेदक की ओर से श्री नवजीत सिंह खनूजा, कनिष्ट यंत्री उपस्थित हुए।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा मेसर्स कीर/कंस्ट्रक्शनस के आवेदन पर प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू 0560123 में पारित आदेश

दिनांक 07.11.2023 को पारित किया गया। इस आदेश में आवेदक का परिवाद, आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। इस आदेश से असंतुष्ट होने के कारण आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(6) के अन्तर्गत विद्युत लोकपाल के पास यह अभ्यावेदन ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2021''** की कण्डिका 3.38 के पालन उपरांत प्रस्तुत किया गया।

2. आवेदक द्वारा अपना अभ्यावेदन**''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2021''** की कण्डिका 3.37 में नियत 60 दिवस की समय सीमा से 25 दिवस की देरी से प्रस्तुत किया गया। अतः आवेदक द्वारा अपने अभ्यावेदन में अलग से आवेदन संलग्न कर 25 दिवस के विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए अभ्यावेदन को स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अभ्यावेदन को विलम्ब से प्रषित करने के कारण के आधार पर दर्ज किया गया।

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

(i) आवेदक द्वारा इन्दौर फोरम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर विद्युत कनेक्शन क्र. 99–40–3415004920 के माह मार्च 2023 के बिल मे जोड़ी गई राशि रु 90,623/– एवं माह जून 2023 से माह अगस्त 2023 के बिल मे जोड़कर प्राप्त की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधी राशि को निरस्त करने एवं उक्त अवधि में भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया था।

(ii) प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसार अनावेदक द्वारा उक्त कनेक्शन पर मीटर क्र. 3746327 (मेक जीनस) का दिनांक 07.09.2022 को निरिक्षण के दौरान आर फेस की पी. टी. मिस पाई गई जिसके आधार पर अनावेदक के एस.टी.एम संभाग द्वारा

मीटर की एम आर आई कर आर फेस की पी. टी. को ठीक किया गया। एम आर आई रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 20.06.2022 से 07.09.2022 तक मीटर में आर फेस नहीं पाया गया एवं आर फेस की मीटर खपत दर्ज न होने के कारण नियामानुसार अतिरिक्त बिलिंग की गई। दिनांक 20.06.2022 से दिनांक 07.09.2022 के दौरान मीटर में दर्ज रीडिंग अनुसार कुल खपत 24744 यूनिट के अनुसार 12372 अंतर यूनिट का निर्धारण कर बिलिंग राशि रु 90,623 जमा कराने हेतु आवेदक को पत्र क्र. 866 दिनांक 06.10.2022, पत्र क्र. 892 दिनांक 19.10.2022 एवं पत्र क्र. 21 दिनांक 12/04/2023 जारी किये गये, किन्तु आवेदक द्वारा अंतर राशि जमा न करने के कारण आवेदक के विद्युत देयक में आवेदक द्वारा नियमानुसार अंतर राशि रु 90,623 जोड़ दी गई।

चूंकि अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि से संबंधित शिकायत निराकृत हो चुकी है इसलिए वर्तमान अभ्यावेदन आवेदक द्वारा केवल रु 90,623/– के संबंध में विद्युत उपभोक्ता शिकायत फोरम, इंदौर के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

4. आवेदक ने अभ्यावेदन निम्न आधार पर प्रस्तुत किया है :–

(i) इन्दौर फोरम ने वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक बिंदुओ का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन नहीं किया है।

(ii) इन्दौर फोरम ने विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्र. 8.24 पर ध्यान न देकर गंभीर भूल की हैं।

(iii) इन्दौर फोरम ने विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्र. 8.44 पर भी ध्यान न देकर गंभीर भूल की है।

(iv) इन्दौर फोरम ने माह मई से माह फरवरी 2023 की अवधि में दर्शित विद्युत खपत को सही एवं वास्तविक खपत नहीं मानकर गंभीर भूल की है।

(v) इंदौर फोरम ने विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्रमांक 8.11, 8.16 एवं 8.30 की मंशा को भी नहीं समझकर गंभीर भूल की है।

(vi) अपीलार्थी द्वारा विवादित राशि रु 90,623/– का 50 प्रतिशत भुगतान किया गया है।

5. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा उक्त प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् अपना अभिमत एवं निर्णय नियमानुसार दिया ।

''फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :–

1. *परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है ।*
2. *अभिमत में किये गये उल्लेखानुसार, परिवादी का गिट्टी खदान हेतु निम्नदाब संयोजन, स्वीकृत भार 135 एच.पी. क्रमांक 3415004920 है। परिवादी ने माह मार्च–2023 के बिल में जोड़ी गई राशि रु. 90623/–एवं माह जुलाई–2023 से माह अगस्त–2023 के बिल में जुड़ी अतिरिक्त सुरक्षानिधि राशि रू.146327/– को निरस्त करने बाबत् आवेदन दिया है।*

उपरोक्त प्रकरण में फोरम द्वारा पाया गया कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर क्रमांक 3746327 मेक जीनस में दिनांक 21.06.2022 से दिनांक 07.09.2022 तक आर–फेज पी.टी. मिसिंग (Current Without Voltage) टेंपर पाया गया। दिनांक 21.06.2022 को आर–फेज पी. टी. मिसिंग टेम्पर शुरू होने के समय तीनों फेज पर वोल्टेज क्रमशः आर फेज–0.0 वोल्ट, व्हाय फेज–248.79 वोल्ट एवं बी फेज–222.36 वोल्ट तीनों फेज पर करंट क्रमशः आर फेज–6.5 एम्पीयर, व्हाय फेज–7.5 एम्पीयर अवं बी फेज–8.10 एम्पीयर था। अर्थात आर फेज पर वोल्टेज 0 वोल्ट एवं करंट 6.5 एम्पीयर था। एस.टी.एम. बुरहानपुर की टीम द्वारा उपरोक्त संयोजन का भौतिक निरीक्षण दिनांक 07.09.2022 को किया गया जिसमें मौके पर मीटर में आर फेज पर 0 वोल्ट, व्हाय फेज पर 243 वोल्ट एवं बी फेज पर 217 वोल्ट एवं करंट आर फेज–44.6 एम्पीर, व्हाय फेज–42.5 एम्पीयर एवं बी फेज–11.9 एम्पीयर पाया गया। एस.टी.एम. की रिपोर्ट अनुसार ''उपरोक्त कनेक्शन चेक करने पर पाया गया कि मीटर के आर फेज में

वोल्टेज शून्य आ रहा है। मीटर की एम.आर.आई. की गई एवं टर्मिनल के आर फेज का कार्बन साफ करके तीनों फेज के टर्मिनल टाईट किये गये एवं तीनों फेज पर सामान्य वोल्टेज पाया गया। एम.आर.आई. के आधार पर मीटर में फेज बन्द समय की बिलिंग किया जाना आवश्यक है'' आवश्यक सुधार उपरान्त तीनों फेज का वोल्टेज क्रमशः आर फेज–257 वोल्ट, व्हाय फेज–266 वोल्ट एवं बी फेज–264 वोल्ट पाया गया। इससे स्पष्ट है कि मीटर ने आर फेज पर वोल्टेज शून्य एवं करन्ट 6.5 से 44.6 एम्पीयर होने पर भी खपत दर्ज नहीं की हे। पी.टी. मिसिंग के कारण विपक्ष द्वारा की गई 12372 यूनिट की बिलिंग को फोरम द्वारा उचित पाया गया।

विपक्ष द्वारा परिवादी को गलत रीडिंग की खपत को सुधार करके राशि रु. 146327/– का समायोजन माह मई–2023 में कर दिया है परन्तु गलत रीडिंग के कारण अतिरिक्त सुरक्षानिधि निपेक्ष राशि रु. 43896/– की तीन मासिक किस्त परिवादी के बिल में जोडी गई थी, को निरस्त किया जावे एवं तत्सम्बंधी अधिभार को हटाया जावे।

अतः फोरम का अभिमत है कि दिनांक 21.06.2022 से 07.09.2022 तक आर फेज पी.टी. मिसिंग के कारण परिवादी को की गई 12372 यूनिट राशि रु. 90623/– का भुगतान परिवादी द्वारा किया जावे।''

6. इस प्रकरण क्रमांक एल.00–06/2024 में उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए सुनवाई दिनांक 15.02.2024 को नियत की गई ।

(i) दिनांक 15/02/2024 को आवेदक की ओर अधिवक्ता श्री एच0 अंसारी उपस्थित हुए। अनावेदक की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री नवनीत सिंह खनूजा, कनिष्ट यंत्री उपस्थित हुए।

(ii) अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई के दौरान यह अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा विवादित राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। अनावेदक प्रतिनिधि

द्वारा प्रकरण से संबंधित प्रत्युत्तर मय दस्तावेज दिया गया जिसे अभिलेख में लिया गया तथा उसकी एक प्रति आवेदक के अधिवक्ता को भी दी गई। अनावेदक द्वारा प्रत्युत्तर के साथ उनके एस0टी0एम0 संभाग द्वारा मीटर की टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

(iii) सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा उपभोक्ता को लिखें दो पत्र प्रस्तुत किये, जिनमें आवेदक द्वारा अनावेदक को दिनांक 20.06.2022 से 07.09.2022 के दौरान मीटर के परिक्षण एवं की गई बिलिंग का विवरण एवं अंतर राशि का भुगतान करने हेतु सूचित किया गया था। आवेदक के अधिवक्ता श्री अंसारी के संज्ञान में उपरोक्त पत्र नहीं थे। अतः अनावेदक के प्रतिनिधि द्वारा अपने प्रत्युत्तर के साथ आवेदक के अधिवक्ता श्री अंसारी को उपरोक्त पत्रों की छाया प्रति सुलभ कराई गई।

(iv) उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि उनको प्रकरण में आगे कोई अतिरिक्त कथन नहीं करना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है। अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

7. सुनवाई के दौरान आवेदक/अनावेदक के कथन :–

(अ) आवेदक के कथन :

(i) आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री एच अंसारी द्वारा सुनवाई के दौरान अभ्यावेदन में प्रस्तुत तथ्यों को पुनः प्रस्तुत करने हुए यह कथन किया कि इस प्रकरण में आवेदक विद्युत शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के समक्ष दो शिकायतें लेकर गया था। पहली शिकायत सुरक्षा निधि की राशि से संबंधित थी, जो कि गलत मीटर रीडिंग लेने के कारण माह जुलाई के बिल में जोड़ दी गई थी। इंदौर फोरम के समक्ष दूसरी शिकायत जिसमें आवेदक के

मीटर क्रमांक 3746329 (मेक जीनस) के दिनांक 07/09/2022 को अनावेदक के एस.टी.एम. संभाग द्वारा निरिक्षण में आर फेस की पी.टी. मिस पाये जाने एवं मीटर की एम.आर.आई. कर आर फेस की पी. टी. को ठीक कर एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 20.06.2022 से 07.09.2022 के दौरान मीटर की आर फेस पी.टी. मिस होने के कारण 12372 यूनिट की अंतर राशि रु 90,623 की बिलिंग से संबंधित थी, जिसको इंदौर फोरम द्वारा वसूली योग्य बताया गया एवं इंदौर फोरम के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

(ii) आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इंदौर के समक्ष उपरोक्त दोनो शिकायतों में से पहली शिकायत का निराकरण, इंदौर फोरम द्वारा उनके आदेश दिनांक 07.11.2023 में कर दिया गया है। अतः आवेदक अपनी दूसरी शिकायत, जो कि उसके परिसर में लगे विद्युत मीटर के एस टी एम संभाग द्वारा निरिक्षण के उपरांत अंतर राशि रु 90,623 की अनावेदक द्वारा बिलिंग को इंदौर फोरम द्वारा वसूली योग्य बताने के निर्णय से असंतुष्ट होकर वह इस अभ्यावेदन के माध्यम से विद्युत लोकपाल के समक्ष आया है।

(iii) उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक के मीटर के निरिक्षण एवं अंतरराशि की बिलिंग करने में अनावेदक द्वारा म.प्र. विद्युत संहिता, 2021 की कण्डिका क्रमांक 8.11, 8.16, 8.24, 8.30 एवं 8.44 का पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कथन किया कि इंदौर फोरम द्वारा भी इस प्रकरण के निराकरण करते समय अपने आदेश दिनांक 07.11.2023 में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की इन कण्डिकाओं पर ध्यान न देकर भूल की है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि विद्युत मीटर की प्रयोगशाला में जांच नहीं कराई गई एवं मीटर के परिक्षण व अंतर राशि की बिलिंग के संबंध में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई।

(iv) आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि उनके द्वारा विवादित राशि रु 90,623 का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है जिस पर अनावेदक के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा सहमति दी गयी। उन्होंने यह भी कथन किया कि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक को मीटर की एम.आर.आई. प्रतिमाह करनी चाहिए जिससे मीटर में इस प्रकार की समस्याओं का समय पर पता चल सके।

(ब) अनावेदक के कथन :

(i) अनावेदक के प्रतिनिधि द्वारा यह कथन किया गया कि मेसर्स कीर कन्ट्रक्शन (प्रोपा– रमनजीत सिंग कीर) जिसका विद्युत संयोजन (स्वीकृत भार 135 एच. पी.) ग्राम बाड़ा जैनाबाद में है एवं जिसके मीटर क्रमांक 3746327 (जीनस) का दिनांक 07.09.2022 को निरीक्षण के दौरान आर फेस की पी.टी. मिस पाई गई, जिसको उनके एसटीएम संभाग द्वारा मीटर की एम.आर.आई. उपरांत ठीक किया गया। एम.आर.आई रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 20.06.2022 से 07.09.2022 तक मीटर में आर फेस नहीं पाया गया। आर फेस की मीटर खपत दर्ज न होने के कारण निम्नानुसार अंतर राशि की अतिरिक्त बिलिंग की गयी :

दिनांक 20/06/2022 को मीटर में दर्ज रीडिंग – 515670

दिनांक 07/09/2022 को मीटर में दर्ज रीडिंग – 540414

कुल खपत – 24744

आर फेस बंद होने के कारण अंतर युनिट (24744/2)= 12372 अंतर यूनिट

अंतर यूनिट 12372 की बिलिंग राशि रु 90,623/–

(ii) आर फेस की मीटर खपत दर्ज न होने के कारण नियमानुसार अतिरिक्त बिलिंग राशि रूपये 90,623/– की गयी, जो कि वसूली योग्य है। उपरोक्त राशि

वसूली योग्य होने के आधार पर फोरम द्वारा निर्णय पारित किया गया। अनावेदक द्वारा **मीटर की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।**

(iii) उपरोक्त अंतर राशि रूपये 90,623/– जमा करने हेतु आवेदक को अनावेदक द्वारा विभिन्न पत्रों जिनके क्रमांक 868 दिनांक 06.10.2022, 892 दिनांक 19.10.2022 एवं 21 दिनांक 12.04.2023 द्वारा उनके मीटर के निरिक्षण एवं उसके उपरांत पाई गई त्रुटि एवं अंतर राशि की बिलिंग का विवरण देते हुए अंतर राशि रु 90,623/– के भुगतान हेतु लिखा गया। आवेदक द्वारा अंतर राशि जमा न करने के कारण आवेदक के विद्युत देयक में नियमानुसार अंतर राशि रूपये 90,623/– जोड़ दी गयी, जो कि वसूली योग्य है। **उपरोक्त पत्रों की छायाप्रति आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कर एक प्रति आवेदक के प्रतिनिधि के संज्ञान में नहीं होने के कारण उनको भी दी।**

(iv) आवेदक के माह जुलाई 2023 एवं अगस्त 2023 के विद्युत देयक में वर्ष 2022–2023 में की गयी खपत आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा निधी राशि जोडी गयी थी, जिसे विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इंदौर द्वारा पारित आदेशानुसार पुनरीक्षित कर माह जनवरी 2024 के देयक में राशि रूप्ये 1,39,918/– का समायोजन किया गया।

(v) अनावेदक द्वारा यह कथन किया कि इंदौर फोरम द्वारा विधिक प्रावधानों के आधार पर दिनांक 07.11.2023 को आदेश पारित किया गया है।

(vi) अतः आवेदक को नियमानुसार प्रतिमाह मीटर में दर्ज खपत के आधार पर देयक एवं आर फेस की मीटर में खपत दर्ज न होने के कारण नियमानुसार अतिरिक्त बिलिंग राशि रू 90,623/– की मांग की गयी थी परन्तु आवेदक द्वारा उपरोक्त राशि का भुगतान न करने के कारण आवेदक के विद्युत देयक में उपरोक्त राशि जोड़ी गयी जो कि वसूली योग्य है।

8. इस प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्न दस्तावेज अभिलेख पर लिए गए :–

(i) आवेदक का अभ्यावेदन एवं विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उज्जैन एवं इन्दौर क्षेत्र द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 07.11.2023.

(ii) आवेदक का आवेदन दिनांक 12.01.2024 जिसमें उसके द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उज्जैन एवं इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक w0560123 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 की प्रति उसको प्राप्त नहीं होने के कारण उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया।

(iii) आवेदक का अभ्यावेदन के साथ आवेदन पत्र जिसमें आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल से अभ्यावेदन को 25 दिवस के विलंब से स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

(iv) आवेदक का विद्युत देयक, अनावेदक का फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गये जवाबदावे की प्रति, अनावेदक द्वारा वर्तमान प्रकरण में दिनांक 15.02.2024 को सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया प्रति उत्तर, अनावेदक के एस.टी.एम. संभाग द्वारा दिनांक 07.09.2022 को की गयी मीटर परिक्षण रिपोर्ट जिसमें मीटर के आर फेस पर जांच पूर्व वोल्टेज शून्य पाया गया एवं आर फेज के टर्मिनल को ठीक कर वोल्टेज 257 वोल्ट दर्शाया गया है।

(v) अनावेदक के एस.टी.एम. शाखा का पत्र दिनांक 08.09.2022 जिसके द्वारा अनावेदक सहायक/कनिष्ट यंत्री सारोला को यह सूचित किया गया कि एम. आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.06.2022 से 07.09.2022 तक एक फेज की पी.टी. मिस हुई है जिससे सही खपत रिकार्ड नही हो पायी है इसलिए अंतर युनिट 12372 की बिलिंग करना आवश्यक है।

(vi) अनावेदक द्वारा आवेदक को लिखे पत्र दिनांक 06.10.2022, 19.10.2022 एवं 12. 04.2023 जिनके द्वारा अनावेदक ने आवेदक मेसर्स कीर कंस्ट्रक्शन को मीटर के एक फेस की पी.टी. मिस पायी जाने एवं उसके कारण अंतरराशि रु 90,623 के जमा करने हेतु निवेदन किया।

(vii) अनावेदक द्वारा 07.09.2022 को ली गई एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति।

9. आवेदक एवं अनावेदक के कथन एवं अभ्यावेदन और संलग्न दस्तावेजों के परिक्षण पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

(i) आवेदक का निम्नदाब विद्युत संयोजन ग्राम बाड़ा जैनाबाद में है, जिसका स्वीकृत भार 135 एच.पी. है और विद्युत का उपयोग गिट्टी खदान के लिये किया जाता है।

(ii) आवेदक विद्युत शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के समक्ष दो शिकायतें लेकर गया था। पहली शिकायत जो कि, सुरक्षा निधि राशि से संबंधित थी, का निराकरण, इंदौर फोरम द्वारा आदेश दिनांक 07.11.2023 में कर दिया गया है। अतः आवेदक अपनी दूसरी शिकायत, जो कि उसके परिसर में लगे विद्युत मीटर के एस.टी.एम. संभाग द्वारा निरिक्षण के दौरान एक फेस की पी.टी. मिस पाई जाने के कारण अंतर राशि रु 90,623 की अतिरिक्त बिलिंग से संबंधित थी को इंदौर फोरम द्वारा वसूली योग्य बताने के निर्णय से असंतुष्ट होकर इस अभ्यावेदन के माध्यम से विद्युत लोकपाल के समक्ष आया है।

(iii) आवेदक का विद्युत मीटर क्रमांक 3746327 (मेक जीनस) के दिनांक 07.09.2022 को अनावेदक के एस.टी.एम. संभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। मीटर के मौके पर निरीक्षण के दौरान तीनों फेस R,Y एवं B पर वोल्टेज एवं करंट मापा जाता है। ऐसे ही निरिक्षण के दौरान अनावेदक के एस.टी.एम. संभाग को मीटर के आर फेस पर वोल्टेज **शून्य मिला** जिसके गहन परीक्षण पर यह पाया गया कि मीटर के आर फेस की पी.टी. मिस (असंयोजित) थी। मीटर के निरीक्षण कर रहे एस.टी.एम. संभाग द्वारा आर फेस की पी.टी. को दुरूस्त कर पुनः संयोजित कर दिया जिससे मीटर को विद्युत की सही खपत मापने के लिए आर फेस मिलाकर तीनों फेस पर वोल्टेज मिलने लगा। इस प्रक्रिया के दौरान अनावेदक के एस.टी.एम. संभाग द्वारा मीटर की एम.आर.आई. कर उसकी रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार आर. फेस की पी.टी. को दिनांक 20.06.2022 से मिस (असंयोजित) पाया गया। दिनांक 07.09. 2022 को अनावेदक के एस टी एम संभाग द्वारा मीटर की जांच रिपोर्ट एवं एम आर आई रिपोर्ट अनावेदक को उपलब्ध कराई गई जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट

होता है कि मीटर की जांच के दौरान आर फेस पर शून्य वोल्टेज पाया गया तथा आर फेस की पी.टी. को ठीक करने के पश्चात् आर फेस का वोल्टेज 257 वोल्ट अंकित किया गया। मीटर की जांच रिपोर्ट में आवेदक के प्रतिनिधि के भी हस्ताक्षर हैं। मीटर रिपोर्ट में अलग–अलग फेस पर रिकॉर्ड किये गये वोल्टेज एवं करंट इंदौर फोरम के आदेश दिनांक 07.11.23 में रिकॉर्ड किये जा चुके है एवं यह आंकड़े अविवादित हैं इसलिए इस आदेश में उनको दोहराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) आवेदक ने पत्र क्रमांक 868 दिनांक 06.10.2022, 892 दिनांक 19.10.2022 एवं 21 दिनांक 12.04.2023 द्वारा अनावेदक को मीटर के निरिक्षण एवं उसमें पाई गई त्रुटी के कारण की गई अंतर राशि की बिलिंग से अवगत कराते हुए उस राशि के भुगतान हेतु लिखा। उन पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने अनावेदक को मीटर के निरिक्षण एवं पाई गई त्रुटी के कारण की गयी बिलिंग की सूचना दी थी।

(v) मीटर की एस.टी.एम. संभाग द्वारा निरिक्षण रिपोर्ट दिनांक 07.09.2022 के अवलोकन पर यह भी पाया गया है कि मीटर के टर्मिनल के आर फेस की पी.टी. पर कार्बन को साफ करके उसको मौके पर ही ठीक कर दिया गया। इसलिए मीटर को इस कार्य के लिये प्रयोगशाला में ले जाना औचित्यहीन था। अतः आवेदक का यह कथन कि मीटर को प्रयोगशाला में नहीं ले जाया गया अप्रासंगिक पाया गया।

(vi) आवेदक द्वारा अपने अभ्यावेदन में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की पांच कण्डिकाओं का पालन इस प्रकरण में नहीं किये जाने एवं इंदौर फोरम का उन पर ध्यान नहीं दिये जाने के आरोप लगाए है। अतः इस प्रकरण का परिक्षण उन समस्त कण्डिकाओं के आधार पर करते हुए निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :–

<u>कण्डिका क्रमांक 8.11</u>

''जब कभी भी कोई नया मापयन्त्र (मीटर)/मापन उपस्कर (मीटरिंग इक्विपमेंट) (इसे बदलने या फिर नए संयोजन के प्रयोजन से) स्थापित किया जाए तो दोनों पक्षों, यथा

अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता की ओर से उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मापयन्त्र को ठीक प्रकार से सील किया जाएगा। सील लगाये जाने के कार्य के प्रत्यक्षदर्शी दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपना पूरा नाम लिखकर निर्धारित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। इस मापयन्त्र या मापयन्त्र उपकरण की सील, नाम पट्टिकाओं और उनमें खुदे हुए विशिष्ट अंक या चिन्ह किसी भी स्थिति में उपभोक्ता द्वारा या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तोड़े, मिटाए, परिवर्तित या बाधित नहीं किये जाएंगे, जब तक दोनों पक्षों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित न हों।''

निष्कर्ष :– यह कण्डिका के प्रावधान इस प्रकरण में अप्रासंगिक हैं क्योंकि इस प्रकरण में किसी नये मीटर की न तो स्थापना की गई है और न ही मीटर बदला गया है। मीटर परीक्षण के समय उपभोक्ता प्रतिनिधि उपस्थित था।

कण्डिका क्रमांक 8.16

''किसी मापयन्त्र (मीटर) एवं सम्बन्धित उपकरण की परिशुद्धता के बारे में युक्ति–युक्त शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को उनके परीक्षण करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण करने में वांछित सहायता भी उपलब्ध करायेगा। मापयन्त्र परीक्षण के दौरान उपभोक्ता को उपस्थित रहने की अनुमति भी दी जाएगी।''

निष्कर्ष :– अनावेदक द्वारा मीटर का परिक्षण उपर्युक्त प्रावधान अनुसार एवं उपभोक्ता प्रतिनिधि के समक्ष किया गया है जिसके हस्ताक्षर मीटर परिक्षण रिपोर्ट पर हैं। अतः इस कण्डिका का इस प्रकरण में पालन हुआ है।

कण्डिका क्रमांक 8.24

''विनियम 8.23 के अनुसार या फिर अनुज्ञप्तिधारी के नियतकालिक या अन्य निरीक्षण के दौरान भी उपभोक्ता से इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर उनके मापयंत्र वाचन (मीटर रीडिंग) मापयंत्र के रूक जाने, मुद्रांकन (सील) क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मापयंत्र रूक गया है/ वाचन को अभिलेखबद्ध नहीं कर रहा है या फिर उपभोक्ता इस

बारे में शिकायत दर्ज करता है, जिसके अनुसार मापयंत्र वाचन उसकी विद्युत खपत के आनुपातिक नहीं है तो अनुज्ञप्तिधारी मापयंत्र का परीक्षण सात दिवस के भीतर किये जाने की व्यवस्था करेगा। निम्न दाब/उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, मापयंत्र की धारा 8.26 (ग) में निर्दिष्ट किये गये अनुसार निर्धारित की गई समय–सीमा के भीतर मरम्मत कर दी जानी चाहिए या फिर इसे बदल दिया जाना चाहिए।''

निष्कर्ष :– यह कण्डिका भी इस प्रकरण में अप्रासंगिक है क्योंकि मीटर में त्रुटि या खराबी की सूचना आवेदक द्वारा अनावेदक को नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त अनावेदक द्वारा नियमानुसार मीटर की त्रुटि को मौके पर ही दुरूस्त कर दिया गया।

कण्डिका क्रमांक 8.30

''स्मार्ट मापयंत्रों (मीटरों) के प्रकरण में मापयंत्रों का वाचन दूरस्थ प्रकार से प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार किया जाएगा तथा अन्य अग्रिम भुगतान मापयंत्रों (प्री–पेमेंट मीटरों) के प्रकरण में मापयंत्रों का वाचन किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक तीन माह में न्यूनतम एक बार किया जाएगा। ऊर्जा खपत सम्बन्धी आंकड़ों को वेबसाईट या मोबाइल एप या एसएमएस आदि के माध्यम से उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट अग्रिम भुगतान मापयंत्र रखने वाले उपभोक्ताओं को भी आंकडे तक पहुंच उनके स्वयं द्वारा विद्युत खपत की जांच हेतु वास्तविक समय के आधार पर प्रदान की जा सकती है।''

निष्कर्ष :– दोनों पक्षों द्वारा यह बताया गया कि प्रकरण से संबंधित मीटर स्मार्ट मीटर नहीं है अतः यह कण्डिका भी इस प्रकरण में अप्रासंगिक है।

कण्डिका क्रमांक 8.44

''जिस अवधि में मापयन्त्र (मीटर) कार्यरत् नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा,––

(क) यदि प्रतिपरीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (रीडिंग) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।

(ख) ऐसे प्रकरण में, जहां मुख्य मापयंत्र (मेन मीटर) दोषपूर्ण हो तथा प्रति–परीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) स्थापित न किया गया हो या दोषपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर दोषपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, तो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि ***यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं, जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/ उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।*** *यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे, जिनका निर्णय इस सम्बन्ध में अन्तिम होगा।*

(ग) अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर प्रावधिक देयक (प्रोविजनल बिल) जारी कर सकेगा, जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्यधीन होगा।''

निष्कर्ष :– इस प्रकरण में कोई प्रतिपरीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) स्थापित नहीं हैं। इस कण्डिका के उपखंड (ख) के अनुसार प्रकरण में पाई गई मीटर की स्थिति, एम.आर.आई. रिपोर्ट में पाई गई त्रुटि एवं उसके मौके पर निराकरण को देखते हुए अनावेदक के

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई बिलिंग इस कण्डिका के प्रावधान अनुसार तकनीकी रूप से सही पाई गई। अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका 8.41 में प्रावधान अनुसार मापयन्त्र वाचन उपकरण (एम.आर. आई.) के माध्यम से संयोजन का मासिक मापयन्त्र वाचन प्राप्त करने के सभी संभव प्रयास किये जायें ताकि मीटर में इस प्रकार की समस्याओं का अविलंब पता चल सके।

10. उपरोक्त समस्त बिंदुओं के परिक्षण उपरांत निष्कर्ष के आधार पर आवेदक द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन अस्वीकार करते हुए फोरम का आदेश यथावत् रखा जाता है। उक्त निर्णय एवं निर्देश के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है। उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

11. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

दिनांक :– 27.02.2024

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल